

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 91 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुग्गड़ा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, दुग्गड़ा के माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री राजेश कुमार सन्हा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री सतवीर सिंह लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 6/2/2018 से 17/2/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

- (I) परिचयात्मक: इस खंड की पूर्व लेखा परीक्षा श्री मनोज खंडूरी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री अक्षय रूडोला लेखा परीक्षक के द्वारा दिनांक 14/09/2016 से 26/09/2016 तक श्री दिनेश रमोला वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी जिसमें माह 09/15 से 08/2016 तक के लेखों की जांच की गई थी। वर्तमान में माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखों की जांच की गई है।
- (II) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग दुग्गड़ा के अंतर्गत विकास खण्ड दुग्गड़ा, विकास खण्ड यमकेश्वर एवं विकास खण्ड द्वारीखल के अन्तर्गत आने वाले मार्गों का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण का कार्य
- (III) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष			स्थापना		गैर स्थापना	
	मु.शीर्ष	स्थापना लाख	गैर स्थापना लाख	आवंटन लाख में	व्यय लाख में	आवंटन लाख में	व्यय लाख में
15-16	8443			884.16	820.003	3629.46	3629.53 421.06

16-17	8443			955.34	837.11	2878.39	2973.34 284.83
17-18	8443			1003.29	779.55	2636.32	2411.56 1882.23

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अ धक्य (+)	बचत (-)
2015-16		शून्य			
2016-17					
2017-18(1/2018)					

(IV) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "A" श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
2. क्षेत्रीय मुख्य अ भयन्ता स्तर-1, लोक निर्माण वभाग, देहरादून
3. अधीक्षण अ भयन्ता, 12वां स वल वृत लोक निर्माण वभाग, पौड़ी
4. अधशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, दुग्गड़ा

(V) 1. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व ध: लेखापरीक्षा में कार्यालय अधशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, दुग्गड़ा को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अधकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, दुग्गड़ा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2017 को वस्तुतः जांच हेतु एवं जनपद पौड़ी कोटद्वार-देवीरोड से सग्गड़ी, झंडीचौड, कलालघाटी, एवं कशनपुर तक सडको का चौड़ीकरण एवं हॉट मक्स जामुन स्रोत पर पु लया निर्माण एवं मानपुर बिष्ट कालोनी में पु लया का निर्माण। लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971)

की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक-5/12/2016 से

9/12/2016 एवं 25/10/2017 से 28/10/2017 तक का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा 09/2016 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 01/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

(I) भाग प्रथम Rs (-)622706.32

(II) भाग द्वितीय Rs 1046199.74

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/2018 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम 20461365.00

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप 57275467.00

(ङ) भण्डार (-)20549706.00

भाग-II (अ)

प्रस्तर-1 अ धक मात्र में बीएम बिछाने के कारण व्यय धक्य :- `125.52 लाख

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 747 / II(2)/14-57 (प्रा0आ0)/ 2013 दिनांक 08 फ़रवरी 2014 के द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी के वधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में कोटद्वार देवराड़ी से सगड्डी-झंडीचौड-कलालघाती-कशनपुर तक सड़कों का चौडीकरण एवं हॉट मक्स जामुन स्रोत पर पु लया का निर्माण व मानपुर बिष्ट कॉलोनी में पु लया का निर्माण यथा कुल 28.424 कलोमीटर मार्ग का **BM/SDBC** द्वारा चौडीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य के साथ दो सेतु के निर्माण हेतु `41.98 करोड़ की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य के लए `38.87 करोड़ की प्र व धकी स्वीकृति 08 जुलाई 2014 में मुख्य अ भयंता (गढवाल क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग, पौड़ी द्वारा प्रदान की गयी थी जिसमे केवल 28.424 कलोमीटर मार्ग (सेतु निर्माण को छोड़कर) का **BM/SDBC** द्वारा चौडीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

इस कार्य के सम्पादन के लए अधीक्षण अ भयंता, 12वां वृत, पौड़ी के द्वारा तकनीकी बीड एवं प्राइस-बीड में सफल न्यूनतम नि वदादाता मेसर्स आर0जी0बिल्डवेल को `35.37 करोड़ में प्रदान की गयी थी जो क अगणत लागत से 3.77 प्रतिशत (`1.38 करोड़) कम थी। तत्पश्चात, अधीक्षण अ भयन्ता स्तर से पुनरीक्षत शैड्यूल-बी के आधार पर अनुबन्ध संख्या 17/SE-12/2014-15 दिनांक 26 अगस्त 2014 गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की ति थ क्रमश 26 अगस्त 2014 और 25 फ़रवरी 2016 थी। वर्तमान में कार्य पर जनवरी 2018 तक `24.10 करोड़ की रा श (19th Running Bill के अनुसार) व्यय हो चुकी है।

कार्य के प्रतिवेदन के अनुसार इस कार्य के अंतर्गत कुल 09 मार्ग का निर्माण कया जाना था जिसमे तीन मार्ग यथा नजीबाबाद चौक से चल्सर खाल(कमी 3.250- कमी15.925), हलदु खाता से कन्व आश्रम (कमी 0.000- कमी 4.426) एवं कशनपुरी से बिजनोरी सीमा (कमी 0.000- कमी2.480) का चौडीकरण था तथा 06 मार्ग पर बीएमएसडीबीसी से कार्य कया जाना था। चौडीकरण वाले मार्ग की लम्बाई 19.581 कमी थी जब क शेष 06 मार्ग, जिन पर

बीएमएसडीबीसी का कार्य कया जाना था, की लम्बाई 8.838 कमी थी। चौड़ीकरण कए जाने वाले मार्ग में जी-1, जी-2 एवं जी-3 का कार्य कया जाना था तथा सभी 09 मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में जी-3 से **pot holes** भरान (22.4-53 mm stone ballast से) का कार्य कया जाना था। सभी 09 मार्ग पर 5.0 सेमी एवं 2.5 सेमी मोटाई में **BM** एवं **SDBC** से मार्ग का निर्माण कया जाना था । इसके अतिरिक्त मार्ग पर नाली, क्रॉस-ड्रेन एवं मार्ग के दोनों ओर पटरियो का निर्माण के साथ आवश्यक स्थानो पर **culvert, causeway**, कच्ची/पक्की नाली का निर्माण कया जाना था।

वर्तमान में कार्य पर जनवरी 2018 तक `24.10 करोड़ की राश (19th **Running Bill** के अनुसार) व्यय हो चुकी है। उपरोक्त प्रावधानों और कार्य के **execution** को प्रदर्शित करने वाले अभिलेखो की जांच की गयी जिसमे यह पाया गया क अनुबंध के अनुसार कार्य 25 फ़रवरी 2016 तक पूर्ण कया जाना था परंतु निर्धारित तिथ के दो वर्ष के बाद भी (फ़रवरी 2018 तक) कार्य अपूर्ण है। खंडीय सूचना के अनुसार 09 में से 08 मार्ग पर बीएमएसडीबीसी का कार्य पूर्ण हो चुका है यथा केवल एक मार्ग, जिसकी लम्बाई-400 मीटर थी, पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। इसके साथ ही, खंडीय उत्तर के अनुसार बीएम एवं एसडीबीसी क्रमशः 27.180 कमी एवं 24.654 कमी में पूर्ण हो चुका था। मार्ग पर बीएम/एसडीबीसी के लए **tackcoat** के प्रावधानित मात्रा 3,35,849.00 वर्ग मीटर के सापेक्ष 2,73,040.430 वर्ग मीटर में **tackcoat** बिछाया गया था। इस में बीएम के लए बिछाये गए **tackcoat** की मात्रा 1,36,720.00 वर्ग मीटर (05 प्रतिशत **curve** को सम्मिलित करते हुए) थी। इस आधार पर 0.05 मीटर के मोटाई में बीएम बिछाने के लए 6836.00 घनमीटर बीएम की आवश्यकता थी एवं प्रावधानानुसार **undulation** के लए प्रावधानित बीएम की मात्रा का 10 प्रतिशत **undulation** सम्मिलित करने पर कुल 7519.60 घनमीटर बीएम का उपयोग कया जाना चाहिए था या बिछाया जाना चाहिए था। इसके वपरीत, जांच में यह पाया गया क, 19th **RA Bill** के अनुसार, वांछित 7519.60 घनमीटर बीएम के सापेक्ष 9054 घन मीटर बीएम का प्रयोग कया गया था जो क वांछित मात्रा से 1534.40 घन मीटर (20.45 प्रतिशत) अधिक थी। इस प्रकार, आगणन के आधार पर 10 प्रतिशत **undulation** की मात्रा को सम्मिलित करने के बाद भी 1534.40 घन मीटर अधिक **BM** बिछाया गया था जिसके कारण `1,25,52,006.00¹ की राश अधिक व्यय हुआ था। इस

संबंध में यह वदित है क प्राक्कलन के अनुसार तीन चौडीकृत मार्ग के **granular** सतह का क्षेत्रफल 22063.86 वर्गमीटर था जिस पर **Undulation** के लए बीएम की मात्रा में 10 प्रतिशत का प्रावधान नहीं होना चाहिए। पुनः चौडीकरण के लए प्रस्ता वत तीनों मार्ग का चौडीकरण भी प्राक्कलत 65891 वर्ग मीटर के सापेक्ष 22063.86 वर्गमीटर में कया गया था जिसके कारण भी बीएम का प्रयोग प्राक्कलत मात्रा से कम होना चाहिए था। पुनः मार्ग पर जी-1 एवं जी-2 का कार्य भी भी प्राक्कलत मात्रा से क्रमशः 61.16 प्रतिशत एवं 40.38 प्रतिशत अ धक कार्य कराया गया था जिसके कारण 110.17 लाख की रा श अ धक व्यय हुई थी।

उपरोक्त को इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया क धन का आवंटन कम होने तथा **coarse/ fine aggregate** की आपूर्ति नहीं होने के कारण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो सका था। खंड द्वारा **tack coat**, बीएम एवं एसडीबीसी के मात्रा के संबंध में केवल आंकड़े उपलब्ध कराये गए (उपलब्ध कराये गए माप-पुस्तिका एवं पेज को इं गत नहीं कया गया) और उसका वश्लेषण कया गया था जिसके अनुसार **tack coat**, बीएम एवं एसडीबीसी की क्रमशः 276103.75 वर्गमीटर, 8739.864 घनमीटर (980.504 घनमीटर व वध कार्य, जिसमें मार्ग के नाम का उल्लेख नहीं है, सहित)) एवं 2856 घनमीटर (121.380 घनमीटर व वध कार्य, जिसमें मार्ग के नाम का उल्लेख नहीं है, सहित) मात्रा के प्रयोग का उल्लेख कया गया था परंतु अ धक मात्रा में बीएम के प्रयोग के संबंध में कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया था। अ धक मात्रा में जी-1 एवं जी-2 के प्रयोग के संबंध में बतलाया गया था क कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार एवं तत्कालीन उच्च धकारियों द्वारा दिये गए निर्देशानुसार अन्य मार्गों पर भी **depression** का कार्य कया गया था जिसके कारण इन मदों में अ धकता हुई थी।

खंड के द्वारा कार्य सम्पादन, बीएम एवं एसडीबीसी के उपयोग से संबन्धित उपलब्ध कराए गए आंकड़े वरोधाभाषी होने के कारण स्वीकार्य योग्य नहीं है क्यो क खंड द्वारा उपलब्ध कराए गए **tack coat**, बीएम एवं एसडीबीसी की मात्रा 19th RA Bill में दर्शाये गए मात्रा से ना सर्फ इतर है बल्कि 980.504 घनमीटर बीएम की मात्रा को व वध मद में दर्शाया गया है। खंड द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों में केवल 2865 घनमीटर एसडीबीसी की मात्रा के लए **tack coat**

Quantity of BM utilized in excess	Rate per M ³	Rate after rebate of 3.76 per cent	Amount
1534.40 M ³	8500.00	8180.00	12552006.00

की मात्रा उपलब्ध कराई गई है जब क 19th RA Bill के अनुसार 3477.080 घनमीटर एसडीबीसी का प्रयोग हुआ था जिसे 139083.20 वर्गमीटर Tackcoat ले पत क्षेत्र पर बिछाया जाना चाहिए था तथा शेष 134357.23 वर्गमीटर Tackcoat बीएम बिछाने के लए उपलब्ध थी। इस प्रकार, 19th RA Bill के अनुसार बीएम बिछाने हेतु उपलब्ध 134357.23 वर्गमीटर Tackcoat पर केवल 6717.86 घनमीटर बीएम बिछाया जा सकता था जो क 10 प्रतिशत undulation को शा मल करने के बाद बीएम की मात्रा 7389.65 घनमीटर आती है जो क वास्तवक मात्रा से 1664.36 घनमीटर कम है जब क लेखा परीक्षा के द्वारा क लत बीएम का आ धक्य 1534.40 घनमीटर है। पुनः जी-1 एवं जी-2 का कार्य चौड़ीकृत मार्ग पर ही कया जाना था जिस पर क्रमशः 4350.83 घनमीटर एवं 6976.21 घनमीटर जी-1 एवं जी-2 का कार्य हुआ था जो क प्राक्कलन एवं 19th RA Bill में दर्शयी गयी मात्रा से काफी कम थी।

इस प्रकार, प्रावधानित मात्रा से कम क्षेत्रफल में चौडीकरण कए जाने और अ धक मात्रा में जी-1 एवं जी-2 का कार्य संपादित कए जाने के बावजूद अ धक मात्रा (1534.40 घनमीटर जो गणना के अनुसार न्यूनतम है) बीएम के उपयोग के कारण `1,25,52,006.00 की व्याया धक्य के प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है।

Item	Estimated quantity	Page No.	Executed	Page No.	Difference	Per centage Increase
G-1	6928M ³	108/B	11165.090M ³	28/B	4237.090M ³	$4237.090M^3 * 100 / 6928M^3$ =61.15%
G-2	6928M ³	108/C	17019.190M ³	28/C	4894.19M ³	$4894.19M^3 * 100 / 6928M^3$ =40.36%

Item	Difference	Rate	Amount
G-1	4237.090M ³	1200/M ³	50,84,508.00
G-2	4894.19M ³	1300M ³	63,62,447.00
			114,46,955.00
Rebate @3.76 percent			4,30,405.51
			1,10,16,549.49

Calculation for determining excess use of Bitumin Macadam

OPTION-I

Row No.1	Area of Tack Coat actually laid including 5 per cent extra for curve as per 19th RA Bill	136720.00 m ²
Row No.2	Thickness as per estimate	0.05 m
Row No.3	Quantity of BM actually required to be laid in 136720.00 m ² in the thickness of x0.05 m= 136720.00 m ² x0.05 m (Row-1 * Row-2)	6836 m ³
Row No.4	Add, 10 per cent of 6836m ³ as earmarked in the estimate for undulation (10 per cent of Row-3)	683.60 m ³
Row No.5	Quantity of BM actually required to be laid including 10 per cent of quantity quantity for undulation (Row-3 +Row-4)	7519.60 m ³
Row No.6	Quantity of BM actually laid as per 19th RA Bill	9054 m ³
Row No.7	Excess over requirement (Row-6 -Row-5)	1534.40 m ³
Row No.8	Rate / m ³ as per Revised Schedule-B	`8500.00/ m ³
Row No.9	Rebate as per contract	3.76 per cent
Row No.10	Rate after rebate (`8500-`8500*3.76%)	`8180.40/ m ³
Row No.11	Amount for excess use of BM	`1,25,52,006.00

OPTION-II

Row No.1	Total quantity of Tackcoat in m ²	273440.430 m ²
Row No.2	Total quantity of BM actually laid as per 19th RA Bill in m ³	9054.010 m ³
Row No.3	Total quantity of SDBC actually laid as per 19th RA Bill in m ³	3477.086 m ³
Row No.4	Total quantity of Tackcoat in m ² required for laying SDBC = quantity of SDBC/thickness of SDBC= 3477.086 m³/0.025m	139083.20 m ²
Row No.5	Remaining quantity of Tackcoat for laying BM = (Total quantity of Tackcoat-Tackcoat required for SDBC) = 273440.430 m²- 139083.20 m² = 134357.23 m²	134357.23 m ²
Row No.6	Quantity of BM actually required to be laid = Area of Tackcoat x thickness + 10% of quantity of BM = 134357.23 m² x 0.05 m + 10% of quantity of BM for undulation (134357.23 m² x 0.05 m) = 6717.86 m³ + 671.78 m³ = 7389.64 m³	7389.64 m ³
Row No.7	Quantity of BM laid in excess over requirement (Row-2 - Row-6)=9054.010 m³ - 7389.64 m³ = 1664.37 m³	1664.37 m ³

Row No.8	Rebate as per contract	3.76 per cent
	Rate after rebate ($\text{`8500} - \text{`8500} \times 3.76\%$)	`8180.40/ m^3
Row No.9	Amount for excess use of BM	`1,36,15,212.350

OPTION-III

The option-III is calculated on the basis of information provided by the O/o the Executive Engineer, Construction Division, Duggadda (Pauri).

The information provided by O/o the Executive Engineer, Construction Division, Duggadda (Pauri) are complied as **Row No.1,2,3,4,5 but the same** not acceptable due to following reasons.

1. The 19th RA Bill provides that 2,73,440.430 m² of tack coat was laid but the Division intimated that 2,76,103.75 m² of tack coat wa laid which does not support data mentioned in the 19th RA Bill
2. The 19th RA Bill provides that **3477.080 m³ of SDBC** was laid and for which 1,39,083.20 m² of tack coat laid area was required. But contrary to the fact, the Division intimated that 2865 m³ (**Row No.5**) of SDBC was laid over 1,13,606.75m² (**Row No.3**). The reply of the division seems to be an attempt of diverting quantity of tack coat from SDBC portion to BM portion. This resulted in excess quantity of tack coat for BM.
3. Thirdly, the division, one side (**Annexure at page No. 554**), had mentioned that no SDBC work was taken up on **Haldu Khata to Kanwashram Road (0.00 Km -4.426 km)** but on another side (**Annexure at page No. 512**) it intimated that SDBC work on the above mentioned work was completed. This proves that quantity of tack coat, on which SDBC was laid, has been diverted.
4. The division termed laying 19174.140 m² of tack coat and 980.504 m³ of BM out of 162497.00 m² tack coat and 8739.364 m³ of BM as miscellaneous which was not acceptable.
5. Finally, it was concluded that information provided by the division does not support the facts and figures mentioned in the 19th RA Bill.

Row No.	Item	For Road	Miscellaneous	Total
Row No.1	Quantity of Tackcoat for BM in m ²	143322.860	19174.140	162497.00
Row No.2	Quantity of BM in m ³	7758.86	980.504	8739.364
Row No.3	Quantity of Tackcoat for SDBC in m ²	108969.590	4637.160	113606.75
Row No.4	Quantity of SDBC in m ³	2743.620	121.380	2865.00
Row No.5	Total quantity of Tackcoat(BM+SDBC)= Row No.1 + Row No.3	252292.45	23811.30	276103.75
Row No.6	Total quantity of tackcoat required actually for 3477.080 m ³ of SDBC as per 19 th RA Bill Quantity of Tackcoat= Quantity of SDBC/Thickness Quantity of Tackcoat= 3477.080 m ³ /0.025m Quantity of Tackcoat= 139083.20 m ²			139083.20

Row No.7	Quantity of Tackcoat remained for BM in m ² =Total quantity of Tackcoat as per 19 th RA Bill - Quantity of Tackcoat required for SDBC as Row No.6 =273440.430 m ² -139083.20 m ² =134357.23 m ²	134357.23
Row No.8	Quantity of BM required to be laid on the Tackcoat area 134357.23 m ² Quantity of BM==Area of Tackcoat x thickness + 10% of quantity of BM =134357.23 m ² x 0.05 m + 10% of quantity of BM for undulation (134357.23 m ² x 0.05 m) = 6717.86 m ³ + 671.78 m ³ = 7389.64 m ³	7389.64
Row No.9	Quantity of BM laid in excess over requirement Total quantity of BM as per 19 th RA Bill Row-2 - Row-8) =9054.010 m ³ - 7389.64 m ³ = 1664.37 m ³	1664.37
Row No.10	Rebate as per contract	3.76 %
Row No.11	Rate / m ³ after rebate (` 8500-` 8500*3.76%)	`8180.40
Row No.12	Amount for excess use of BM	`1,36,15,212.35

भाग -2(ब)

प्रस्तर-1 परिहार्य व्यय रूपए 55,62,900.6

जनपद पौड़ी गढ़वाल के वधान सभा क्षेत्र यमकेशवर के कोइयाँ कमसार मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य की प्रशासनिक एवं वतीय स्वीकृति उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1156/III(2)/14-08(प्रा.आ.)/2013 दिनांक 22 फरवरी 2014 के द्वारा 12.300 कमी हेतु रूपए 626.56 लाख प्रदान की गई थी उक्त कार्य हेतु मुख्य अ भयन्ता (गढ़वाल क्षेत्र), लोक निर्माण वभाग पौड़ी द्वारा अपने स्वीकृति क्रमांक 1262/12(189)यात पर्व /2014 दिनांक 4/7/2014 द्वारा इतनी ही धनराश की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी

अ धशासी अ भयन्ता निर्माण खंड लोक निर्माण वभाग दुगड़ा द्वारा कार्य सम्पादन हेतु आर जी बिल्डवेल ल मटेड के साथ रूपए 6,01,38,201.12 का अनुबंध, अनुबंध संख्या 16/एस ई-12/2014-15 दिनांक 26/8/2014 को गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य आरंभ करने की तिथि 26/8/2014 एवं कार्य समाप्त करने की तिथि 25/5/2015 थी, अनुबंध के सापेक्ष कार्य पर रूपए 50825998.0 व्यय उपरांत 15/03/2017 को पूर्ण हुआ था

वन अधिनियम 1980 के अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्र में डामर संबन्धित कार्य किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है एवं खंड द्वारा भी इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुये कार्य के सुधारीकरण हेतु कार्य के आगणन एवं कार्य सम्पादन हेतु गठित अनुबंध में डबल्यूबीएम-2, डबल्यूबीएम-3 एवं इंटर लो कंग कंक्रीट ब्लॉक (गैर डामर की मद का) का प्रवधान किया गया था कन्तु खण्ड द्वारा प्रावधानित कार्य को संपादित न कराते हुए उसके स्थान पर डबल्यूबीएम-2 के उपरांत डबल्यूएमएम RBI-81 का कार्य अतिरिक्त मद के रूप में संपादित कराया गया था जिस पर खंड द्वारा रूपए 365.31 लाख भुगतान किया गया है। जिस कारण से पूर्व प्रावधानित मदों के अनुसार कार्य संपादित न कराये जाने के कारण रूपए 55,62,900.6 का अधक व्यय किया गया था इस ओर इंगत कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया था क राजा जी टाइगर पार्क प्रशासन द्वारा उक्त कार्य रुकवा दिया गया था जिस कारण से अतिरिक्त मद के रूप में **WMM RBI-81** का कार्य कराया गया था खंड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त मार्ग पूर्व निर्मित मार्ग था एवं लोक निर्माण वभाग को वर्ष 1978 से ही हस्तांतरित था एवं इसके सुधारीकरण हेतु कसी प्रकार क वानिकी/पर्यावरणीय स्वीकृति क आवश्यकता नहीं थी जिसकी पुष्टि प्रमुख सचिव के पत्र से भी होती है साथ इंटर लो कंग कंक्रीट ब्लॉक का कार्य जो की गैर डामरी कार्य

है, के वन क्षेत्र में प्रतिबंधित होने के संबंध में भी खंड द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था

अतः पूर्व प्रावधानित मदों के अनुसार कार्य संपादित न कराये जाने के कारण रूपए 55,62,900.6 के परिहार्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

*डबल्यूबीएम-3=2636**CumX3000=7908000.00

7908000-838248(10.60%)=7069752

*इंटर्लो कंग ब्लॉक =29702.60X900=26732340-2833628.04(10.60%) =23898711.96

(7069752+23898711.96=30968463.96)

****As per G-2 consumption**

अतिरिक्त मद पर व्यय	36531364.56
पूर्व प्रावधानित मदों के अनुसार कार्य संपादित*	30968463.96
अंतर धनराश	5562900.6

भाग दो -ब

प्रस्तर 2- व वध अ ग्रमों की धनरा शयों का समायोजन न कया जाना।

456- Advances to contractors are as a rule prohibited, and every endeavour should be made to maintain a system under which no payments are made except for work actually done.

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खंड लोक निर्माण वभाग, दुग्डा के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया क खंड की व वध अ ग्रम पंजिका के व भन्न भागों में दर्शायी जा रही असमायोजित धनरा श में से अ धकांश धनरा श लंबे समय के उपरांत भी समायोजित नहीं हो पाई है जिसमें से रु 11239089 क धनरा श मेक्सफाल्ट एवं ठेकेदारों क वसूली से संन्धित है ववरण निम्नानुसार है

मद संख्या	माह	मद नाम	धनरा श
2/2	7/93	हायर चार्जेस	152743.93
8/8	6/96	मैक्स फाल्ट हेतु भुगतान की गई रा श	958100.00
15/15	9/99	वभागीय हायर चार्जेस	201200.00
18/18	3/2000	मैक्सफाल्ट अ ग्रम(IOC)	4878909.00
23/23	3/2003	Hire charges	2007024.00
34/34	6/2007	मैक्सफाल्ट अ ग्रम	200000.00
37/37	7/2008	बिटु मन/इमल्शन-अ ग्रम	406718.00
25/25	3/2003	मैक्सफाल्टअ ग्रम(HP Roorkee)	1026638.00
65/65	12/2014	मैक्सफाल्ट अ ग्रम (आईओसी रुडकी)	349462
		योग A	10180794.93
33/33	3/2007	स्वस्तिक कंपनी 10%अर्थदण्ड	269362
50/50	10/2011	सोहन लाल अमोली (10%अर्थदण्ड)	229814.00
57/57	5/2013	श्री महेंद्र सिंह अर्थदण्ड (10%अर्थदण्ड)	173667
58/58	5/2013	श्री शूरवीर सिंह अर्थदण्ड (10%अर्थदण्ड)	208165
60/60	2/2014	दून एसो सएट (टेस्टिंग चार्जेस)	112360.00
64/64	4/2014	श्री महेंद्र सिंह (10%अर्थदण्ड)	64927
		योग B	1058295
		महायोग (A+B)	11239089

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिये गए अग्रिमों में लगभग 75% धनराश मैक्सफाल्ट/बिटुमन से ही संबन्धित है किन्तु एक लम्बी अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त भी खंड द्वारा न तो उक्त धनराश को समायोजित किया गया है, न ही कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है जिससे कि इन धनराशियों का समायोजन हो सके। लेखा परीक्षा द्वारा इस और इंगत किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि संबन्धित मैक्सफाल्ट की फ़र्मों से पत्राचार किया जा रहा है एवं ठेकेदारों से वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है। खंड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त धनराश 3 से 20 वर्ष पुरानी है एवं खंड द्वारा यदि प्रभावी कार्यवाही की गई होती तो धनराशियों का समायोजन हो जाता एवं पूर्व लेखा परीक्षा में भी उक्त बिन्दु को संज्ञान में लाया गया था किन्तु खंड द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही इस हेतु नहीं की गई थी।

अतः शासकीय धन की लम्बी अवधि के उपरान्त भी संबन्धित फ़र्म से वसूली न किए जाने एवं न ही समायोजन किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं० / वर्ष	अनिस्तारित प्रस्तर	
		भाग—दो 'अ'	भाग—दो 'ब'
1	235 8 9.90	1	1,2
2	236 9 0.91	1	-
3	222 4 1992.93	1,2	-
4	48 5 1995.96	-	1,2
5	08 5 1996.97	1,2	3
6	199 5 1997.98	1	-
7	323 5 1998.99	-	1
8	27 2 2001.02	1,2,3	4,5,6
9	47 2 2002.03	1	2
10	56/2004-05	-	2
11	49/2005-06	1,2,3,4	-
12	61/2006-07	1,2	1
13	35/2007-08	1,2	-
14	22/2009-10	1,2,3	-
15	31/2010-11	1,2,3	1
16	17/2011-12	1,2,3	1,2
17	10/2014-15	1,2,3,4	1
18	66/2015-16	1	1
19	56/2016-17	-	2,3
		33	19

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तार संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

समस्त प्रस्तारों के उत्तरलेख पर अधीक्षण अ भयंता एवं मुख्य अ भयंता की संस्तुति के उपरान्त माहालेखाकार कार्यालय को प्रेषत कए जा रहे हैं।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग दुग्गड़ा, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प

2. लेखापरीक्षा में निम्न लखत अभिलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:

शून्य

3. सतत् अनिय मतताएं:

शून्य

4. लेखापरीक्षा अवध में निम्न लखत अधशासी अभयन्ताओं द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं० नाम

पदनाम

1.श्री राजेश चन्द्र

07/2014 से 23/8/2017

2.श्री निर्भय सिंह

24/8/2017 से वर्तमान तक

5. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न लखत खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1.श्री देवेन्द्र सिंह चौहान

07/2014 से 05/06/2017

2. श्री पुष्कर सिंह राणा

06/06/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय कार्यालय अधशासी अभयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग दुग्गड़ा, को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी आर्थिक क्षेत्र-2